E-mail- dpo.pat.icds@gmail.com

जिला प्रोग्राम कार्यालय, पटना

समाहरणालय, पटना।

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.), पटना जिला अंतर्गत अनुबंध के आधार पर आँगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन संबंधी विज्ञापन

विज्ञापन संख्या–09/2024

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि पटना जिला में समेकित बाल विकास सेवाएँ (आँगनबाड़ी सेवाएँ) अंतर्गत आँगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापांक–1846 दिनांक–10.06.2010 एवं संशोधन पत्रांक–5994 दिनांक–31.12.2018 एवं अन्य पत्रों से प्राप्त मार्गनिर्देशों के आलोक में पटना जिला अंतर्गत कार्यरत इच्छुक आँगनबाड़ी सेविकाओं से **ऑनलाईन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं।

1. पटना जिला में रिक्त 55 पदों पर नियोजन हेतु कोटिवार विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	आरक्षण कोटि	रिक्ति की संख्या
1.	अनुसूचित जाति	08
2.	अनुसूचित जन जाति	01
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	07
4.	पिछड़ा वर्ग	00
5.	पिछड़ा वर्ग की महिला	03
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	06
7.	अनारक्षित वर्ग	30
	कुलः–	55

2. रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की समय–सीमा निम्नवत् हैः–

आवेदन प्राप्ति की तिथि–09.09.2024 से 05.10.2024 के संध्या 05:00 बजे तक।

(दिनांक–05.10.2024 के संध्या 05:00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।) **ऑनलाईन आवेदन जिले की अधिकारिक वेबसाईट http://patna.nic.in के साथ–साथ http://125. 16. 175. 140:88/VacancyList.aspx पर प्रदर्शित है एवं अभ्यर्थी इस वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर, आवेदन समर्पित करेंगीं।**

3. आवेदिका द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाईन आवेदन की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंधित डाक से जिला प्रोग्राम कार्यालय, पटना, विकास भवन, द्वितीय तल, पटना समाहरणालय, पटना, पिन कोड–800001 के पते पर अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। लिफाफे के उपर बाँयी ओर "आँगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन" लिखना आवश्यक है। आवेदन हाथों–हाथ स्वीकार नहीं किए जायेंगे। बिना ऑनलाईन आवेदन अथवा निर्धारित समय–सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होंगें। आवेदन की एक प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लेंगी।

E-mail- dpo.pat.icds@gmail.com

4. ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर भेजना अनिवार्य होगा:–

(i) मैट्रिक परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(यदि हो तो, इन्टर, स्नातक एवं स्नात्तकोत्तर परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।)

(ii) अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र।

(iii) राजपत्रित पदाधिकारी, पटना द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।

(iv) **जाति प्रमाण पत्र**–आरक्षित वर्गों के लिए जो लागू हो, यथा–जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलीयर रहित प्रमाण पत्र (अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य है।), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सामान्य वर्ग हेतु) संबंधी प्रमाण पत्र

(v) **अनुभव प्रमाण पत्र**–अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों तक सेविका के पद पर कार्य किया गया है।

(vi) जिन आँगनबाड़ी सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो, संबंधित प्रमाण पत्र।

(vii) अन्य प्रमाण पत्र जो लागू हो। (दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि)

5. आँगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका (अनुबंध) के पद पर नियोजन के संबंध में आवश्यक योग्यता:–

(i) **शैक्षणिक योग्यता:–**
न्यूनतम योग्यता–मैट्रिक/समकक्ष उत्तीर्ण

(ii) चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का **कार्यकाल** होना चाहिए अर्थात्–01.01.2024 को 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।

(iii) **उम्र सीमा**–विज्ञापन वर्ष 2024 के पहली जनवरी को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी।
अभ्यर्थी को इस आशय का अन्डरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगें।

6. वांछित सूचनाएँ–

(i) शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी।

(ii) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक ही प्राप्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मान्य होंगें।

(iii) आँगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा तभी उनके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा।

(iv) मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत् निकालते समय अतिरिक्त (Extra) विषयों के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। मात्र अनिवार्य (Compulsory) एवं ऐच्छिक (Optional) विषयों को जोड़ा जाएगा।

E-mail- dpo.pat.icds@gmail.com

(v) प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षाओं (इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर) के लिए एवं राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएँगे।

(vi) प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरन्तर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाऐंगें। उसके पश्चात् सेवा में प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1–1 अंक–यह अंक केवल उसी अवधि के लिए देय होगी, जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो।

(vii) विभिन्न श्रोतों से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिलास्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक वाली सेविकाओं की नियुक्ति की जाएगी।

(viii) यदि दो सेविकाओं को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को ऊपर रखा जाएगा।

(ix) अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आँगनबाड़ी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होंगीं।

(x) उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–5543 दिनांक–04.10.2023 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय/पारिश्रमिक 25000/–रूपये प्रतिमाह निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 120/–प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र यात्रा भत्ता (अधिकतम 9000/–प्रतिमाह) निर्धारित है।

(xi) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।

नोटः– संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4068 दिनांक–28.08.2024 के निदेशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (C) में पारित आदेश के फलाफल से प्रवृत आरक्षण प्रावधान के तहत नियोजन प्रभावित होगी।

विस्तृत मार्गनिर्देश यथा अर्हता/आवेदन देने की प्रक्रिया आदि संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय/जिला प्रोग्राम कार्यालय (ICDS), पटना के सूचना पट्ट अथवा पटना जिला के अधिकारिक वेबसाईट http://patna.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
पटना